(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 18/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 2016

विषयः– बासमती चावल के निर्यात की शर्तों के संबंध में आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के अध्याय 10, क्र. सं. 57 में संशोधन।

सा.आ. (अ) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा समय–समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 10 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः

" निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 10 में क्र.सं. 57 संबंधी तालिका को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एच एस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
57	10063020	कि.ग्रा.	बासमती चावल (बिना छिलके का , (भूरा) आधा पिसा हुआ, पिसा हुआ दोनो या तो अधपका या कच्ची अवस्था मे)।	मुक्त	(i) एपीडा, नई दिल्ली के साथ अनुबंध के पंजीकरण के अधीन निर्यात अनुमत होगा; (ii) हटा दिया गया है (अधिसूचना सं.6 (आरई–2012)/2009–14 दिनांक 4 जुलाई 2012 देखें) (iii) निर्यात किए जाने के लिए चावल के दाने की लंबाई 6.61 मिमी से ज्यादा होगी और दाने की लंबाई का चौडाई से अनुपात 3:5 से अधिक होगा; (iv) निर्यात सीमाशुल्क ईडीआई पत्तनों के माध्यम से होगा। निर्यात डीजीएफटी के साथ मात्रा के पंजीकरण के अधीन भारत–बांग्लादेश और भारत–नेपाल सीमा पर गैर–ईडीआई लैण्ड सीमाशुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के द्वारा भी अनुमत होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता और पटना और समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी, मात्रा के ऐसे पंजीकरण के उद्देश्य के लिए नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी, होंगे। (v) यूरोपीय संघ को किया जाने वाला निर्यात अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए पोतलदान–पूर्व गुणवत्ता

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एच एस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
					जाँच के अधीन अनुमत होगा। (vi) रूसी संघ को निर्यात अनुमत है बशर्ते निम्नलिखित द्वारा पोतलदान पूर्व गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाएः (1) कीटनाशक अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला (2) जियो–केम लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (3) रिलाएबल एनेलिटिकल लेबोरेट्री (4) एरब्रो फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (5) श्री राम इंस्टीटयूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली (6) श्री राम इंस्टीटयूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ब्रांच ऑफिस, बंगलूरू (7) दिल्ली टेस्ट हाऊस; और (8) विम्टा लैब्स अथवा समय–समय पर यथा अधिसूचित अन्य कोई अभिकरण; (vii) खाली मुद्रित बोरियाँ जिन पर किसी भी रूप में मार्किंग की गई है कि उत्पाद भारत का बासमती चावल है, का निर्यात अनुमत नहीं है सिवाय जब इनका बासमती चावल की खेपों के साथ निर्यात किया जाए, इन मामलों में भी इनकी संख्या निर्यात की जा रही बासमती चावल की भरी बोरियों की कुल संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; (viii) थोक में बिना बोरी के अथवा 50 किलो या इससे अधिक वजन के बैगों में निर्यात किए जा रहे भारतीय बासमती चावल के मामले में खाली मुद्रित बोरियाँ जिन पर किसी भी रूप में मार्किंग की गई है कि उत्पाद भारत का बासमती चावल है, का निर्यात भी वास्तविक आवश्यकता की सीमा तक अनुमत होगा जिसमें खेप की कुल मात्रा तथा निर्यात की जा रही खाली बोरियों के आकार को ध्यान में रखा जाएगा। (ix) बासमती चावल का निर्यात स्वीकृति हेतु दस्तावेजों (डी/ए) के आधार पर अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निर्यात को बैंक गारंण्टी अथवा ईसीजीसी गारंटी प्रदान न की गई हो।

2. अध्याय–10 (बासमती चावल से संबंधित) में क्र0सं0 57 के संबंध में "प्रतिबंध के स्वरूप" की मद सं. (ix) का प्रावधान दिनांक 01.10.2016 से लागू होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः–**

(i) ईडीआई पत्तनों के अतिरिक्त बासमती चावल का निर्यात भारत–बांग्लादेश तथा भारत–नेपाल सीमा पर स्थित भूमि सीमाशुल्क विभाग स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से भी अनुमत होगा बशर्ते विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में मात्रा का पंजीकरण किया गया हो।

(ii) बासमती चावल का निर्यात स्वीकृति हेतु दस्तावेजों (डी/ए) के आधार पर अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निर्यात को 01.10.2016 से बैंक गारंण्टी अथवा ईसीजीसी गारंटी प्रदान न की गई हो।

अनूप वधावन

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः–dgft@nic.in

[फा. सं. 01/91/180/775/एएम10/निर्यात प्रकोष्ठ (खण्ड–9) से जारी]